

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचारार्थीन ओ०ए० संख्या 697/2022 रामकेवल बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 18.05.2023 के अनुपालन में प्रतिउत्तर।

श्री रामकेवल पुत्र नंदलाल, ग्राम-गजरा, तहसील-कप्तानगंज, जिला- कुशीनगर के आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2022 मा० अधिकरण द्वारा ए०ओ० 697/2022 के रूप में स्वीकार करते हुये प्रकरण में दिनांक 01.11.2022 को आदेश पारित किया गया कि,

Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Chief Development Officer and District Magistrate, Kushi Nagar and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the ponds in question, verify the factual position regarding encroachments on the same and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned persons found to have encroached upon the ponds. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा मा० अधिकरण के समक्ष दिनांक 18.01.2023 को प्रकरण में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वादी के आवेदन एवं उसके क्रम में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023 की सुनवाई मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 24.01.2023 को की गई।

उक्त सुनवाई में मा० अधिकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2023 के अनुपालन के क्रम में प्रकरण में वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर द्वारा प्रकरण में कृत कार्यवाही की द्वितीय रिपोर्ट (Action Taken Report-2nd) मा० अधिकरण के समक्ष दिनांक 12.04.2023 को प्रस्तुत की गयी। प्रकरण में वादी के आवेदन एवं उसके क्रम में की गयी कार्यवाही की द्वितीय रिपोर्ट की सुनवाई मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 18.05.2023 को की गई, जिसमें आदेश पारित किया गया कि,

The grievance in the application is regarding encroachments on 7 large ponds comprising of Khasra nos. 325 (0.08 hectare), 342 (0.179 hectare), 382 (0.174 hectare), 455 (0.316 hectare), 456 (0.117 hectare), 531 (0.101 hectare), 578 (0.380 hectare) and 5 small ponds and prayer has been made for issuance of directions for removal of encroachments and restoration of the ponds.

In compliance of order dated 24.01.2023, Action Taken Report has been filed by UPPCB vide email dated 12.04.2023.

In view of the averments in the application and observations in the Action Taken Reports, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh (2) District Magistrate, Kushi Nagar, (3) CDO, Kushi Nagar and (4) Sarpanch, Gram Panchayat, Gajara, Tehsil Captanganj, District-Kushi Nagar.

संदर्भित वाद में प्रार्थना-पत्र के सम्यक निस्तारण के दृष्टिगत मा० अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय पत्र संख्या 152/आ०लि०/पत्रा०सं०-400/2023 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्रकरण में मा० अधिकरण के आदेश के अनुपालन हेतु गठित समिति को निर्देशित किया गया कि संदर्भित आदेश दिनांक 18.05.2023 में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये आख्या प्रस्तुत करें। जिसके अनुपालन में अपनी आख्या दिनांक 13.09.2023(संलग्न) को प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 07.12.2023 को आदेश पारित किया गया कि,

Vide order dated 18.05.2023 we sought response from State of Uttar Pradesh, District Magistrate, Kushi Nagar, CDO, Kushi Nagar and Sarpanch, Gram Panchayat, Gajara, Tehsil Captanganj, District-Kushi Nagar but no response has been filed by them.

2. Notices be again to above respondents requiring them to file their response on or before 15.02.2024.

3. List on 28.02.2024



अतः मा0 अधिकरण के उक्त संदर्भित आदेश के अनुपालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर के कार्यालय पत्र संख्या 332 दिनांक 16/01/2024 द्वारा जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर, उपजिलाधिकारी, कप्तानगज एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर की तीन सदस्यी समिति का गठन करते हुये मा0 अधिकरण के संदर्भित आदेश का अनुपालन कराते हुये आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जिसके कम समिति द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण आख्या निम्नवत है:-

क्रमांक	पोखरी का गाटा संख्या	पोखरी का कुल क्षेत्रफल	पोखरी का विवरण
07 बड़ी पोखरी-			यह पोखरी काली माई के मंदिर के पीछे स्थित है। पोखरी में वर्तमान में भी पानी है। पोखरी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पोखरी पर्याप्त गहरी एवं बड़ी है।
1	578	96 डिस्मिल	
2	555	79 डिस्मिल	
3	342	44 डिस्मिल	
4	382	43 डिस्मिल	
5	556	29 डिस्मिल	
6	531	25 डिस्मिल	
7	325	20 डिस्मिल	यह पोखरी आरती सदन के सामने स्थित है। पोखरी में वर्षा ऋतु में पानी भरा हुआ था, जिसकी खुदायी/साफ-सफाई करा दी गयी है।
05 छोटी पोखरी-			यह पोखरी पंचायत भवन के सामने है। वर्तमान समय में यह साफ-सुथरा है। पोखरी के बंधा के किनारे छठ पूजा के स्थल बनाये गये है। पोखरी में पानी नहीं है। अतिक्रमण नहीं है।
8	356	15 डिस्मिल	
9	629	04 डिस्मिल	
10	193	03 डिस्मिल	
11	321	02 डिस्मिल	
12	570 क	01 डिस्मिल	

प्रकरण में की गयी कार्यवाही की आख्यानुसार वादी के मूल आवेदन-पत्र में उल्लिखित 07 बड़े एवं 05 छोटे तालावों को अतिक्रमण मुक्त एवं साफ-सफाई करा दिया गया है

अतः प्रकरण में वादी का मूल प्रार्थना-पत्र निस्तारित किये जाने योग्य है



मुख्य विकास अधिकारी,
कुशीनगर 15/02/24

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।


पोखरी सं०-356 / 15 डिस्मिल।




पोखरी सं०-531 / 25 डिस्मिल।



पोखरी सं०-555 / 79 डिस्मिल।



पोखरी सं०-556 / 29 डिस्मिल।



पोखरी सं०-382 / 43 डिस्मिल।



पोखरी सं०-325 / 20 डिस्मिल।



-पोखरी सं०-578/96 डिस्मिल।



- पोखरी सं०-321/02 डिस्मिल-



श्रीमान् पंचायत-मजदूर
श्रीमान् प्रधान
श्रीमान् माली श्रीमान्

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर- 697/2022 रामकेवल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त सगिति की जांच आख्या :-

मुख्य विकास अधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र सं0-332/आ0लि0 दिनांक 16 जनवरी 2024 के कम में टीम के सदस्यों द्वारा दिनांक 27.01.2024 तथा दिनांक 07.02.2024 को तहसील कप्तानगंज के उप जिलाधिकारी, राजस्व विभाग की टीम के साथ ग्राम राभा-गजरा विकास खण्ड-कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित Original Application NO. 697/2022 रामकेवल बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 18.05.2023 के अनुपालन में उक्त ग्राम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी, कप्तानगंज, खण्ड विकास अधिकारी, कप्तानगंज, ग्राम प्रधान श्री रामदयाल यादव, ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र सिंह, लेखपाल श्री राकेश तिवारी तथा ग्राम रोजगार सेवक श्री पुष्कर खरवार आदि उपस्थित थे। जांच आख्या निम्नवत् है:-

क्रमांक	पोखरी का गाटा संख्या	पोखरी का कुल क्षेत्रफल	पोखरी का विवरण
07 बड़ी पोखरी-			यह पोखरी काली माई के मंदिर के पीछे स्थित है। पोखरी में वर्तमान में भी पानी है। पोखरी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पोखरी पर्याप्त गहरी एवं बड़ी है।
1	578	96 डिस्मिल	
2	555	79 डिस्मिल	
3	342	44 डिस्मिल	
4	382	43	
5	556	29 डिस्मिल	
6	531	25 डिस्मिल	
7	325	20 डिस्मिल	यह पोखरी आरती सदन के सामने स्थित है। पोखरी में वर्षा ऋतु में पानी भरा हुआ था, जिसकी खुदायी/साफ-सफाई करा दी गयी है।
05 छोटी पोखरी-			यह पोखरी पंचायत भवन के सामने है। वर्तमान समय में यह साफ-सुथरा है। पोखरी के बंधा के किनारे छठ पूजा के स्थल बनाये गये हैं। पोखरी में पानी नहीं है। अतिक्रमण नहीं है।
8	356	15 डिस्मिल	
9	629	04 डिस्मिल	
10	193	03 डिस्मिल	
11	321	02 डिस्मिल	यह पोखरी जयकरन के घर के पास है, जो आस-पास की भूमि के

			बराबर समतल , बरती के बीच में है। पोखरी अत्यन्त छोटी है। पोखरी पर कोई अतिक्रमण नहीं है।
12	570 क	01 डिरिमल	इस पोखरी के तीन तरफ सड़क है , बीच में पोखरी स्थित है। बरसात में पानी/सिल्ट भरा हुआ था, जिसकी खुदायी/साफ-सफाई करा दिया गया है। पोखरी पर अतिक्रमण नहीं है। पोखरी अत्यन्त छोटी है।

महोदया की सेवा में उनके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जांच आख्या सादर प्रेषित है।
संलग्नक:- फोटोग्राफ्स ।


उप जिलाधिकारी
कप्तानगंज-कुशीनगर।


जिला विकास अधिकारी
कुशीनगर।


क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, कुशीनगर।

पत्रांक 1752/वै०सहा०/2023-24

प्रतिलिपि:- मुख्य विकास अधिकारी महोदया, कुशीनगर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक: फरवरी 09, 2024


जिला विकास अधिकारी
कुशीनगर